भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 588

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई

588. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के संदर्भ में पारदर्शिता बढ़ाने, दक्षता में सुधार लाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्न मित्र मोबाइल ऐप के उद्देश्य और प्रमुख डिजाइन विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त ऐप किस प्रकार लाभार्थियों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुँच को बढ़ाता है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, टीपीडीएस में पारदर्शिता बढ़ाने और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस को पूरी तरह से डिजिटलीकृत (100%) कर दिया गया है। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद हस्तांतरण योजना को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस डिवाइस स्थापित करके स्वचालित किया गया है।

...2/-

वर्तमान में, पूरे देश के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) निर्बाध रूप से लागू है। ओएनओआरसी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्नों की राष्ट्रव्यापी निर्बाध पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। इस प्रौद्योगिकी संचालित सुधार के माध्यम से, लगभग 80 करोड़ पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके, देश में कहीं भी, अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने हक का खाद्यान्न उठाने का अधिकार दिया गया है।

(ख) और (ग): अन्न मित्र मोबाइल ऐप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण परिचालन डेटा तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाता है। यह ऐप उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलरों, खाद्य निरीक्षकों और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों (डीएफएसओ) द्वारा क्षेत्र-स्तरीय निगरानी, स्टॉक प्रबंधन और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अन्न मित्र की प्रमुख डिज़ाइन विशेषताएँ:

- क्षेत्र-स्तरीय संचालन, स्टॉक ट्रैकिंग और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना।
- राशन कार्डों का लेन-देन संक्षिप्त में, लाभार्थी प्रबंधन और अन्य हितधारक सूचना।
- निरीक्षण मॉड्यूल, फीडबैक और रेटिंग मॉड्यूल।
- ज़िला स्तर से लेकर एफपीएस स्तर तक स्टॉक प्रबंधन

ये सुविधाएँ ऐप को सक्षम बनाती हैं:

- बाधाओं को कम करना और हाथों द्वारा की गई कागजी कार्रवाई को खत्म करना।
- डेटा एक्सेस के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना।

अन्न मित्र, अंततः सभी प्रमुख पीडीएस हितधारकों को सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता, गति और दक्षता में सुधार करके एकल, सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है।

वर्तमान में, अन्न मित्र ऐप चार प्रमुख राज्यों - उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम और पंजाब में चालू है और दो भाषाओं (अंग्रेजी और हिंदी) में उपलब्ध है। इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।

*****